विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2–पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–332/2023, दिनांकः–12.12.2023

परिवादी

गिरीश चन्द्र
पुत्र स्व0 देवीराम
ग्राम–मेलाडोल मज्यूली
पहाड़पानी
जिला–नैनीताल

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि उसका विद्युत संयोजन संख्या–5920008078797 है जो उसके स्वर्गीय पिता देवीराम जी के नाम पर तत्समय में कुटीर ज्योति के नाम से है। अब पिता की मृत्यु के बाद उपभोक्ता के रूप में वह विद्युत उपभोग करता है तथा नियमित विभागीय बिल के अनुसार बिल जमा करता है। इसी क्रम में विद्युत वितरण उपखंड भीमताल के द्वारा जारी बिल माह 19.04.2023 से 27.06.2023 तक की बिल धनराशि ₹ 236.00 भुगतान की थी तथा नियमित रीडिंग के अनुसार बिल जमा करता आया है। पिछली रीडिंग 4337 थी लेकिन सितम्बर 2023 का बिल अकस्मात ₹ 13338.00 तथा रीडिंग 6403 दिखायी है। वह अत्यंत गरीब व्यक्ति है केवल एक रौड व दो बल्ब जलता है वह भी केवल 2 घंटे लगभग साय। इतना बिल आना तो असंभव है लेकिन फिर भी बिल प्राप्त हुआ है जिसकी तिथि आज 26.10.2023 है। उसके घर में उसके चचेरे भाई का निधन होने के कारण विलम्ब से उपभोक्ता फोरम के समक्ष उपस्थित हुआ है। अतः उसकी प्रार्थना पर विचार कर

क्रमशः

उसे राहत देने तथा त्रुटिपूर्ण बिल रद्द करते हुए उचित भुगतान धनराशि भुगतान करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 06.11.2023 में कहा गया है कि उपभोक्ता के मीटर की एस0बी०एम० द्वारा बिलिंग के उपरांत नई बिलिंग कार्यदायी संस्था मै० टी०डी०एस० द्वारा माह 09/2023 में प्रथम बार प्रारम्भ की गयी जिसके उपरान्त विद्युत मापक में 6403 KWH रींडिग पाई गयी। उक्त रीडिंग के आधार पर ही कार्यदायी संस्था मै० टी०डी०एस० द्वारा ₹ 13338.00 मात्र का बिल उपभोक्ता को निर्गत किया गया। उपभोक्ता के मापक की सम्पूर्ण रीडिंग को विगत माहों में समायोजित करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परंतु वर्तमान माह 11/2023 का बिल सिस्टम में ऑनलाईन तकनीकी खराबी होने के कारण रींडिग के समायोजन का कार्य नहीं हो पाया है। रीडिंग के समायोजन किये जाने हेतु कई बार प्रयास किये गये परंतु ऑनलाईन तकनीकी खराबी के कारण बिल संशोधन का कार्य लम्बित है जिसमें समय लग सकता है। अतः माननीय फोरम से अनुरोध है कि उक्त शिकायत का समाधान करने हेतु अतिरिक्त 10 दिवस का समय प्रदान करने की कृपा करें।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 16.11.2023 में कहा गया है कि उपभोक्ता के मापक की नई कार्यदायी संस्था मै० टी०डी०एस० के कर्मचारी द्वारा माह 09/2023 में प्रथम बार एस०बी०एम० मशीन द्वारा बिलिंग की गयी। जिसमें उपभोक्ता के मापक में 6403 kwh रीडिंग पायी गई। उक्त रीडिंग के आधार पर ही ₹ 13338.00 का बिल निर्गत किया गया था। उपभोक्ता के मापक की सम्पूर्ण एक मुस्त रिडिंग को विगत माह में समायोजन कर दिया गया है, जिसके उपरान्त उपभोक्ता के विद्युत बिल में दि0 16.11.2023 को ₹ 3986.99 का संशोधन कर दिया गया है। संशोधन करने के उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल ₹ 9351.00 का बनाया गया है जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाना है।

4. परिवादी द्वारा प्रस्तुतत प्रतिउत्त्तर दिनांकित 24.11.2023 में कहा गया है कि फोरम के पत्र के आधार पर वांछित संशोधन ₹ 3986.99 कर दिया गया है उनके द्वारा उपभोक्ता लेजर प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त संबंध में पूर्व में ही उसने निवेदन किया है कि विभाग द्वारा रीडिंग के उपरांत बिल प्रेषित कर उक्त तिथि तक भेजे गए तथा नियमित रूप से भुगतान करते रहा हूं उसके ऊपर कोई अवशेष नहीं है। अकस्मात सितम्बर 2023 का बिल 6403 रीडिंग दिखाकर ₹ 13338.00 का बिल भेजा गया, जब कि जून 2023 में रीडिंग 4337 दिखाई गई तदानुसार ₹ 236.00 का बिल जमा कर दिया गया था। महोदय वह एक रौड व दो एल.ई.डी. बल्ब साइकिल 2 घंटे जलाता है। उसके पास ऐसा उद्योग धंधा नहीं जिससे बिजली चोरी कर चलाएं। वह बी.पी.एल. श्रेणी का उपभोक्ता हूं तथा मेहनत मजदूरी से अपना परिवार का पालन पोषण करता है। हजारों की धनराशि का बिल जो किसी तरह जायज नहीं है भेजा गया वह अत्यधिक मानसिक आघात में जी रहा है। यदि मेरी स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया तो कुछ भी बुरा उसके व उसके परिवार के साथ हो सकता है। 26 दिसम्बर 2004 से

यह संयोजन उसके परिवार को मिला है ईमानदारी से नियमित बिल भुगतान करते रहे हैं। वह विभाग की मीटर रीडिंग तत्संबंधी शब्दावली व विभाग के निर्णय से सहमत नहीं है। मीटर संबंधी किसी त्रुटि के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। ₹ 200.00 से ₹ 300.00 से अधिक बिल जमा करने की उसकी क्षमता नहीं है। विभाग समायोजन शब्द व धनराशि का उल्लेख कर उसकी स्थिति एवं सच्चाई से हटकर केवल भ्रम पैदा कर रहा है केवल भटकाने का प्रयास कर रहा है। अतः न्यायाधीश/प्रमुख महोदय से निवेदन है कि उसके प्रार्थना पत्र है एवं उसकी वास्तविक स्थिति तथा सिस्टम की लापरवाही पर गहराई एवं सहानुभूति पूर्वक विचार कर कर उसे बी.पी.एल./निर्धन हरिजन मजदूर उपभोक्ता पर कृपा करते हुए विभाग बिल/रीडिंग को रद्द करने की कृपा करेंगे तथा पूर्व की तरह न्यूनतम भुगतान राशि का बिल भेजने संबंधी प्रस्ताव/निर्णय पारित कर उसे राहत देने की कृपा करेंगे। वह तथा उसका परिवार उपभोक्ता फोरम व शासन का ऋणी रहेगा।

5. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 25.11.2023 में कहा गया है कि उपभोक्ता के मापक की सम्पूर्ण एक मुस्त रिडिंग को विगत माह में समायोजन कर दिया गया था, जिसके उपरान्त उपभोक्ता के विद्युत बिल में दि0 16.11.2023 को ₹ 3986.99 का संशोधन कर दिया गया था। संशोधन करने के उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल ₹ 9351.00 का बनाया गया है जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाना है। उक्त के क्रम में माननीय फोरम द्वारा चाही गयी उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री अवलोकन हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

6. मंच में सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक 12.12.2023 को पक्षकार सुनवाई हेतु उपस्थित हुये। मंच द्वारा दोनों पक्षों के तर्क सुने गये। परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 26.09.2023 को मीटर रीडिंग 6403 दर्शायी गयी, जबकि उससे पूर्व दिनांक 27.06.2023 को मीटर रीडिंग 4337 थी। सुनवाई के समय परिवादी द्वारा बताया गया कि मीटर रीडर पूर्व में रीडिंग लेने नहीं आता था। अर्थात मीटर रीडर परिवादी की मनमाने ढंग से रीडिंग भरकर बिल निर्गत कर रहा था। सितम्बर 2023 में वास्तविक मीटर रीडिंग दर्ज होने से परिवादी पर एकमुश्त बिल का भार पड़ा है तथा उसे ₹13338.00 रुपए का बिल जारी किया गया। मंच के निर्देश पर विपक्षी द्वारा एक मुश्त रीडिंग को पूर्व के महीनों में विभाजित करते हुए बिल संशोधित किया गया जिसमें ₹ 3986.99 का समायोजन प्रदान करते हुए ₹ 9351.00 रुपए का बिल जारी किया गया। परिवादी के परिसर पर वर्तमान में वही मीटर स्थापित है तथा मीटर सही कार्य कर रहा है। अतः 6403 रीडिंग तक की गई खपत परिवादी की वास्तविक खपत है। इस रीडिंग तक का बिल विपक्षी द्वारा संशोधित किया जा चुका है जो मंच के मत में सही है। परन्तु विपक्षी ने बिल संशोधन में ₹ 1084.92 का सरचार्ज परिवादी पर आरोपित किया है जो न्यायोचित नहीं है तथा सरचार्ज हटाए जाने योग्य है।

क्रमशः

आदेश

परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के संशोधित बीजक में आरोपित की गई LPS की राशि को हटाते हुए बिल जारी करें। विपक्षी इस आदेश/निर्णय की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–12/12/2023

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(पी सी पाण्डेय)
सदस्य (तकनीकी)

(टीकाराम जोशी)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–12/12/2023

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(पी सी पाण्डेय)
सदस्य (तकनीकी)

(टीकाराम जोशी)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2–पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–336 / 2023, दिनांकः–12.12.2023

निशान्त राणा
मकान नं0–2–102 / 5
शिव विहार, नैनीताल रोड,
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि उसका 05 किं०वा० का घरेलू विद्युत संयोजन संख्या–387एन412113303 उसके आवासीय परिसर पर लगा हुआ है। उसको माह 10 / 2023 का बिल दिनांक 23.09.2023 से दिनांक 20.10.2023 तक का 1066 यूनिट का 27 दिनों का प्रेषित किया गया जो कि प्रतिदिन 39.48 यूनिट के हिसाब से है। वर्ष 2011 से उसका मीटर लगा हुआ है। इतनी रीडिंग जब मई जून में ए०सी० चलते हैं तब भी आज तक नहीं आयी है जो दर्शाता है कि 10 / 23 में मीटर की रीडिंग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है तथा मीटर जम्प कर गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए उसके बिल को पिछले वर्षों की रीडिंग के अनुसार संशोधित करवाने की कृपा करे।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–1224 दिनांक 09.11.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि उपभोक्ता श्री निशान्त राणा, मकान नम्बर 2–102 / 5, शिव विहार, नैनीताल रोड हल्द्वानी, जिला–नैनीताल विद्युत संयोजन संख्या 387एन412113303 का विद्युत बिल मापक में प्रदर्शित मापक पाठ्यांक के आधार पर निर्गत किया गया है, जो कि पूर्णतः सही है। मापक

क्रमशः

का पाठयांक मैं० टी०डी०एस० कन्सल्टेन्ट प्रा० लि० के प्रतिनिधि श्री गौरव कुमार से सत्यापित भी करवाया गया है। इसके अतिरिक्त यदि शिकायतकर्ता को मापक तेज होने के सन्दर्भ में संशय हो तो वह विभागीय नियमानुसार मापक की जॉंच करवाने हेतु चैक मापक लगााने हेतु आवेदन कर सकते है। चैक मापक हेतु निर्धारित शुल्क ₹ 118.00 जमा करने के उपरान्त मापक की जॉंच की जाएगी। मापक के तेज होने की पुष्टि होने पर ही नियमानुसार आवश्यक बिल संशोधन कर पाना संभव होगा।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 25.11.2023 में कथन किया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर स्थापित कर दिया गया है, जिसकी सीलिंग सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न कर प्रेषित है (कागज संख्या–7/2)। उक्त के क्रम में विभाग द्वारा दिनांक 08.12.2023 को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीट स्थापित कर दिया गया है, एवं वांछित चैक मापक की फाइनल रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर प्रेषित है(कागज संख्या–9/2)।
4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 11.12.2023 की तिथि नियत की गयी थी। सुनवाई हेतु पक्षकार भौतिक रूप से उपस्थित हुये। मंच ने पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी को वास्तविक मीटर रीडिंग के ही बिल प्रेषित किये गये हैं जिनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता तथा वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–12/12/2023

12/12/23		12/12/2023
(हिमांशु बहुगुणा)	(पी सी पाण्डेय)	(टीकाराम जोशी)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–12/12/2023

(हिमांशु बहुगुणा)	(पी सी पाण्डेय)	(टीकाराम जोशी)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला—नैनीताल

उपस्थित 1—टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2—पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3—हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या—337/2023, दिनांकः—12.12.2023

कैलाश चन्द्र जोशी — परिवादी
रिटायर्ड खण्ड विकास अधिकारी
आर.टी.ओ. रोड
महालक्ष्मी विहार—04
हल्द्वानी
जिला—नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि उसके द्वारा नया विद्युत संयोजन लेने हेतु दिनांक 05.11.2022 को ₹15000.00 मात्र 100 मी0 लाइन का जमा किया गया है। जबकि विभाग द्वारा उसके मकान तक 83 मी0 विद्युत लाइन दी गई है। विभाग द्वारा मुझे 17 मी0 लाइन की धनराशि अधिक जमा करवाई गई है, जो अनुचित है। इस संबंध में उसके द्वारा अधिशासी अभियन्ता, हीरानगर से 09.02.2023 को अवगत कराने पर उनके द्वारा यह कहा जाना कि आपका पत्र उपखण्ड अधिकारी, ट्रांसपोर्ट नगर को प्रेषित कर दिया गया है। लेकिन इस संबंध में उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अनुरोध का निवेदन है कि प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करे।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 09.11.2023 में कहा गया है कि संबंधित क्षेत्र के अवर अभियन्ता की आख्यानुसार मौके पर 93 मी0 लाइन बनी है।

क्रमशः

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 20.11.2023 में कहा गया है कि वर्तमान समय में वह पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ से लौटने के उपरान्त दिनांक 04.12.2023 को विभाग द्वारा किए जाने वाले नाप–जोख में उपस्थित रहेगा।
4. विपक्षी द्वारा परिवादी के साथ मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित की गयी। मौके पर 93 मी0 विद्युत लाइन पाई गयी।
5. परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 05.12.2023 में कहा गया है कि दिनांक 04.12.2023 को विभाग के कर्मचारियों द्वारा विद्युत लाइन की नाप ली गई जो 93 मीटर है। जिससे वह संतुष्ट है। जो उसके द्वारा लिखित भी दिया गया है। इस क्रम में यह भी अवगत कराना महत्वपूर्ण होगा कि उसके द्वारा 100 मी0 विद्युत लाइन की धनराशि ₹ 15000.00 जमा किया गया है। पूर्व में विभाग द्वारा 83 मी0 लाइन खींची गई थी। इस बिन्दु से विद्युत तार अपने मकान तक लाने पर लाइन तिरछी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के खेत के बीचोंबीच आ रही थी। जो उनके द्वारा मना भी किया गया। 83 मीटर आगे सीधी लाइन खींचने पर 10 मीटर दूरी पर उसका मकान स्थित है। बार–बार विभाग से अनुरोध करने पर इनके द्वारा उसके मकान तक लाइन नहीं डाली गई। फलस्वरुप मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल 1905 में शिकायत पंजीकरण की गयी। तब विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के शिकायती पत्र के सन्दर्भ में शिकायत निस्तारण की अवधि समाप्ति की तिथि के रात 9:30 से 10:00 बजे 83 मीटर से पोल हटाकर 93 मी0 उसके मकान के पास लगाया गया। तब यह नाप 93 मी0 हुई है। क्योंकि उसके द्वारा शिकायत दिनांक 09.02.2023 को ही अधिशासी अभियन्ता, हीरानगर को की गई थी। इस प्रकार अब विद्युत लाइन 93 मी0 मानी जाए। अतः महोदय से अनुरोध है कि 7 मी0 लाइन की अधिक जमा की गई धनराशि 150/मी0 की दर से ₹1050.00 वापस किए जाने हेतु विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें व वाद को निस्तारित करने की कृपा करें।
6. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि परिवादी के विद्युत संयोजन हेतु विपक्षी द्वारा 93 मी0 विद्युत लाइन का निर्माण किया गया है तथा इसके लिए परिवादी से 100 मी0 का शुल्क चार्ज लिया गया है। विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए संयोजन जारी करना एवं संबंधित मामले) विनियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार ओवरहैड लाइन चार्ज (4 कि0वा0) प्रति दस 10 मी0 ₹ 1500.00 शुल्क है। प्रति दस मीटर के हिसाब से ही विपक्षी द्वारा परिवादी से 93 मीटर लाइन निर्माण के लिए 100 मीटर का शुल्क लिया गया है जो नियमानुसार सही है। अतः वाद खारिज होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन,

क्रमशः

80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–12/12/2023

(हिमांशु बहुगुणा)	(पी सी पाण्डेय)	(टीकाराम जोशी)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–12/12/2023

(हिमांशु बहुगुणा)	(पी सी पाण्डेय)	(टीकाराम जोशी)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Kumaou Zone,Haldwani

कुंवर सिंह बिष्ट

Case No.:-340/2023

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
हल्द्वानी (नगरीय)

ORDER SHEET

11/12/23— पत्रावली पुनर्वाद हेतु प्रस्तुत हुई। परिवादी द्वारा पत्र प्रेषित कर कहा गया है कि वह विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र से पूर्णतः संतुष्ट है तथा वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी जावे। वह मंच का आभारी है।

प्रस्तुत वाद में परिवादी द्वारा विद्युत बिल राशि 31275/- पर आपत्ति जताते हुए वाद दायर किया गया था। विपक्षी द्वारा परिवादी का बिल संशोधित करते हुए ₹ 4445.28 का बिल दिया गया। विपक्षी की इस कार्यवाही पर संतुष्टि जताते हुए परिवादी द्वारा वाद समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी संतुष्टि व्यक्त करने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Kumaoun Zone, Haldwani

रेखा देवी बनाम अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उपाकालि0, हीरानगर, हल्द्वानी।

Case No.:- 342/2023

ORDER SHEET

12.12.2023 – पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा मंच की ओर से दिये गये निर्देशों दिनांकित 11/12/23 (पुनर्वाद तिथि को) के अनुसार परिवादी का संशोधित बीजक प्रस्तुत किया गया है। बिल संशोधन के बाद परिवादी पर 27956.91 रु. का बिल बकाया है। बिल संशोधन गणना शीट के अनुसार फरवरी 2019 से दिसम्बर 2021 तक (विवादित अवधि) ₹ 7812=00 का सरचार्ज लगा है। मंच के मत में परिवादी पर उक्त सरचार्ज आरोपित किया जाना न्यायोचित नहीं है तथा सरचार्ज हटाकर संशोधित बिल जारी किया जाना तर्कसंगत होगा जिसे नियमानुसार किश्तों की सुविधा के साथ जमा किया जा सकता है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के संशोधित बीजक से ₹ 7812.00 का सरचार्ज हटाते हुए पुनः संशोधित बीजक जारी करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। परिवाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

जलील अहमद — बनाम — अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,

Case No:-359 /2023

ORDER SHEET

दिनांक– 13/ 12/ 2023

नई शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी विभाग दिनांक 23 / 12/ 2023 तक उत्तर पत्र व खपत विवरण मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

वाद पर उभय पक्षों की सुनवाई हुई। विद्युत संयोजन में नाम ठीक करवाने सम्बन्धी मामले में परिवादी द्वारा आवश्यक अभिलेख सुनवाई के समय प्रस्तुत किये गये। विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा परिवादी के नाम में संशोधन करते हुए JAMIL के स्थान पर JALIL कर परिवादी की। शिकायत का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। इस प्रकार शिकायत का समाधान हो जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

निजामुद्दीन पुत्र श्री अंसार हुसैन।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि0,
रामनगर

Case No:- 362 /2023

ORDER SHEET

निजामुद्दीन

दिनांक– 13/ 12/ 2023

नई शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी विभाग दिनांक 13 / 12 / 2023 तक उत्तर पत्र व खपत विवरण मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

पक्षकारों को सुना गया। परिवादी द्वारा बताया गया कि उसका जला मीटर नहीं बदला गया है। विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा कहा गया कि परिवादी द्वारा उनसे इस सम्बंध में शिकायत नहीं की गयी है, विपक्षी द्वारा सम्बंधित लाईन स्टाफ को सुनवाई के उपरान्त मौके पर भेजा गया है तथा तत्काल मीटर बदलने का आदेश दिया गया। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि एक सप्ताह के भीतर मीटर बदलकर सीलिंग प्रमाण पत्र मंच में प्रस्तुत करें। परिवाद तदनुसार निस्तारित। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

भारती देवी — बनाम — अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, उपाकालि0, रामनगर

Case No:- 364 /2023 — कालाढूंगी शिविर

द्वारा शेरसिंह

ORDER SHEET

दिनांक– 13/ 12/ 2023

नई शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी विभाग दिनांक 13/12/2023 तक उत्तर पत्र व खपत विवरण मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

वाद पर सुनवाई की गयी। मीटर खराब होने सम्बंधी इस शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान ही लाईन स्टाफ को परिवादी के परिसर पर भेजा गया। लाईन स्टाफ द्वारा बताया गया कि मीटर की रीडिंग कटी फटी आ रही है जिसे बदला जाना आवश्यक प्रतीत होता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का खराब मापक बदलकर एक सप्ताह के भीतर सीलिंग प्रमाण पत्र मंच में प्रस्तुत करे। परिवाद तदनुसार निस्तारित। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि0उ0शि0नि0म0 हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

बालम सिंह बिष्ट बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, उपाकालि0, रामनगर

Case No:- 367/2023 कालाढूंगी शिविर

ORDER SHEET

दिनांक– 13/12/2023

नई शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी विभाग दिनांक 13/12/2023 तक उत्तर पत्र व खपत विवरण मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

वाद पर सुनवाई की गयी। परिवादी द्वारा बताया गया कि उसका मीटर खराब है। सुनवाई में ही TDS कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता के मीटर में रीडिंग के अंक कटे फटे आ रहे हैं। रीडिंग पढ़ी नहीं जा रही है अतः मीटर बदला जाना आवश्यक है। विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा कल 14/12/2023 तक मीटर बदलने की बात कही गयी। विपक्षी उपखण्ड अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का मीटर बदलकर एक सप्ताह के भीतर सीलिंग प्रमाण पत्र मंच में प्रस्तुत करे। परिवाद तदनुसार निस्तारित। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

13/12/2023
सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

Elec. CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

Haldwani

बीना देवी   बनाम   अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड,
उपाकालि०,

Case No:- 369 /2023

ORDER SHEET

दिनांक– 13/ 12/ 2023

नई शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी विभाग दिनांक 13/ 12/ 2023 तक उत्तर पत्र व खपत विवरण मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

सुनवाई की गयी। खराब मीटर संबंधी शिकायत पर विपक्षी द्वारा मौके पर अपने प्रतिनिधि को भेजकर मीटर की जांच की गयी तथा खराब मीटर को कल 14/12/2023 को बदलने की बात कही गयी। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी का खराब मापक बदलवाकर एक सप्ताह के भीतर सीलिंग प्रमाण पत्र मंच में प्रस्तुत करें। परिवाद तदनुसार निस्तारित। पक्षकार सूचित हों। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (उपभोक्ता)   सदस्य (तकनीकी)   सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी   वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी   वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी